### कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

व्यापार सूचना (टी.आर. सं.\2022-23\0001)

17 नवंबर, 2022

# वर्ष 2022-23 के लिए टैरिफ दर कोटा (टी.आर.क्यू.) के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी (रॉ/रिफाइंड) का निर्यात

सार्वजिनक सूचना सं. 36/2015-2020 दिनांक 16 नवंबर 2022 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए टैरिफ दर कोटा (टी.आर.क्यू.) के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी (रॉ/रिफाइंड) के निर्यात हेतु विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली (डी.जी.एफ.टी.) द्वारा जारी अधिसूचना सं. 3/2015-20 दिनांक 20/04/2015 और अधिसूचना सं. 20/2015-20 दिनांक 7/09/2015 के माध्यम से अधिसूचित रिपोर्टिंग आवश्यकता के पश्चात वर्ष 2022-23 के लिए (1 अक्टूबर, 2022 से 30 सितंबर, 2023) यूरोपीय संघ को टैरिफ दर कोटा (टी.आर.क्यू.) के अंतर्गत चीनी (रॉ/रिफाइंड) के 5841 मीट्रिक टन (रॉ/रिफाइंड) चीनी की मात्रा का आवंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन करने की अनुमित दी है:

- यह कोटा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ( एपीडा), नई दिल्ली द्वारा संचालित किया जाएगा।
- मूल प्रमाण पत्र , यदि आवश्यक हो , अतिरिक्त डीजीएफटी , मुंबई द्वारा जारी किया जाएगा।
   यूरोपीय संघ को चीनी के निर्यात के लिए विशेष रूप से निर्धारित अन्य प्रमाणन आवश्यकता ,
   यदि कोई हो, का पालन किया जाना जारी रहेगा।
- 3. निर्यातकों को एपीडा , नई दिल्ली को वास्तविक निर्यात (अर्थात मात्रा , मूल्य, गंतव्य, विदेशी खरीदारों आदि का नाम और पता) के विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

  तदनुसार, टी.आर.क्यू. के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी (रॉ/रिफाइंड) के निर्यात के लिए 5841

  मीट्रिक टन के कोटा के आवंटन के लिए निर्यातकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

  टीआरक्यू के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी (रॉ/रिफाइंड) के निर्यात के लिए कोटा

  आवेदन/प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:

- (i) अनुबंध । में प्रारूप के अनुसार कोटा प्राप्त करने के लिए आवेदन एपीडा नई दिल्ली में दिनांक 28/11/2022 (10 दिन) अपराहन 3.00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे और इच्छुक आवेदनकर्ताओं की उपस्थिति में उसी दिन 3.30 बजे खोले जाएंगे। आवेदन पत्र, सीलबंद कवर में प्रस्तुत किए जाने हैं, उसके ऊपर "टी.आर.क्यू. के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी के निर्यात के लिए कोटा प्राप्त करने के लिए आवेदन " लिखा हो और श्री मान प्रकाश विजय , उपमहाप्रबंधक, एपीडा, एन.सी.यू.आई. भवन, अगस्त क्रांति मार्ग हौज खास, नई दिल्ली -110016 को संबोधित हो।
- (ii) संवीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा और पंजीकरण-सह-सदस्यता-प्रमाण-पत्र ( आर.सी.ए.सी.) 3 कार्य दिवसों में जारी किया जाएगा।
- (iii) अनुबंध ॥ में उपलब्ध प्रारूप में एक बैंक गारंटी के साथ आवेदन किया जाएगा , जो भारतीय रुपए में कोटा मूल्य के 5% के बराबर राशि के लिए एफ.ओ.बी. मूल्य पर लागू किया जाएगा। बैंक गारंटी 31 दिसंबर, 2023 तक मान्य होनी चाहिए।
- (iv) आवेदन की गई मात्रा के लिए 11.80 रुपये प्रति मीट्रिक टन (जी .एस.टी. सिहत) के प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान आवेदकों द्वारा किया जाएगा। यह राशि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एपीडा बैंक खाते में ऑनलाइन जमा की जाएगी:
  - i) खाता संख्या- 57022180304
  - ii) आईएफएससी- SBIN0007407
  - iii) बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक
- (v) उपलब्ध कोटा मात्रा को प्रति मीट्रिक टन अमरीकी डालर में निर्यात के लिए उच्चतम एफ.ओ.बी. मूल्य के आधार पर आवेदकों को आवंटित किया जाएगा। आवेदक द्वारा उच्चतम एफ.ओ.बी. मूल्य के लिए लागू की गई मात्रा उपलब्ध कोटा से कम होने की स्थिति में , मूल्य कोटेशन के क्रम में अन्य आवेदकों को शेष राशि आवंटित की जाएगी। यदि एक से अधिक आवेदक एक ही एफ.ओ.बी. मूल्य जमा करते हैं , तो उपलब्ध कोटा का आवंटन समर्थक अन्पात के आधार पर किया जाएगा।
- (vi) एक बार आवेदन जमा होने के बाद और पंजीकरण-सह-आवंटन-प्रमाणपत्र ( आर.सी.ए.सी.) जारी होने के बाद निर्यातक / आयातक के नाम और एफ.ओ.बी. मूल्य में परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा।

- (vii) आर.सी.ए.सी. को 30 सितंबर , 2023 तक मान्यता अविध के साथ जारी किया जाएगा। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि 30 सितंबर 2023 से पहले कस्टम क्लीयरेंस के लिए खेप ई.यू. पोर्ट पर पहुंच जाए।
- (viii) निर्यातक को अनुबंध III में प्रारूप के अनुसार जारी किए गए पूर्ण मात्रा के संबंध में विशिष्ट आर.सी.ए.सी. की मान्यता की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रत्येक आर.सी.ए.सी. के समक्ष वास्तविक निर्यात विवरण को प्रस्तुत करना होगा। आर.सी.ए.सी. की पूर्ण मात्रा में असर्मथता की स्थिति में एपीडा द्वारा बैंक गारंटी के रूप में जुर्माना लगाया जा सकता है।

डॉ. तरूण बजाज निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17/11/2022

(फाइल नं. सी आर एल-2022-23-000061 से जारी)

#### टी.आर.क्यू. के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी (रॉ/रिफाइंड) के निर्यात हेतु कोटा प्राप्त करने के लिए आवेदन

1.	आवेदक का नाम एवं पता	
2.	टेलीफोन/ई-मेल	
3.	एपीडा/एफ.आई.ई.ओ. पंजीकरण सं.	
4.	आवेदित मात्रा मीट्रिक टन में	
5.	एफ.ओ.बी. मूल्य यू.एस.डी./मीट्रिक टन में	
6.	प्रदर्शन बैंक गारंटी राशि (आवेदित मात्रा के	
	कुल एफ.ओ.बी. मूल्य का 5%)	
7.	प्रदर्शन गारंटी की तिथि एवं मान्यता (आवेदन	
	तिथि से एक वर्ष के लिए)	
8.	आयातक का नाम एवं पता (अनुबंध की प्रति	
	और पुष्ट आदेशों की प्रति के साथ)	
9.	भारत में शिपमेंट पोर्ट	
10.	यूरोपीय संघ में गंतव्य पोर्ट	

#### घोषणा:

- (i) हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे आवेदन में दी गई सभी जानकारी हमारे ज्ञान के अन्सार सही है।
- (ii) हम एपीडा द्वारा जारी आर.सी.ए.सी. की वैधता की समयाविध में हमें आवंटित की गई मात्रा का सम्पूर्ण निर्यात करने का कार्य करेंगे।
- (iii) हम प्रमाणित करते हैं कि हम यूरोपीय संघ को चीनी के संबंध में गुणवत्ता की आवश्यकताओं से अवगत हैं, जिसे हमने टी.आर.क्यू. के अंतर्गत यूरोपीय संघ को निर्यात करने की योजना बनाई है और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई अवमानक उत्पाद हमारे द्वारा निर्यात नहीं किया जायेगा।
- (iv) हम जानते हैं कि वैधता अविध की समयाविध के अन्दर आर.सी.ए.सी. के अनुसार एपीड़ा द्वारा आवंटित कोटा मात्रा की शिपमेंट न होने की स्थिति में, एपीड़ा को हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन बैंक गारंटी को जब्त करने का अधिकार होगा।

#### हस्ताक्षर -

नाम और पदनाम-

निर्यातक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Format for Performance Bank Guarantee (on Rs. 100/- Stamp Paper)

## Subject: Performance Bank Guarantee for Export of (Raw/Refined ) Sugar to E.U. underTRQ

WHEREAS the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority mentioned as APEDA hereinafter, through its Trade Notice datedhas invited applications from the exporters for obtaining quota for export of (Raw/Refined ) sugar to E.U. under TRQ as per the conditions prescribed in the said Trade Notice, which terms
and conditions we are fully aware and in know of, and whereas M/s,the exporter, having their office at have undertaken to export MT of (Raw/Refined ) Sugar to E.U. under TRQ at the FOB India price of USDper MT.
AND WHEREAS the exporter is required to furnish alongwith the application. Performance Bank Guarantee equivalent to 5% of the total FOB value of the quantity applied for in Indian Rupees in terms of the above said Trade Notice.
AND WHEREAS the exporter is required to export of (Raw/Refined ) Sugar within period of the validity given in the Registration-cum-Allocation Certificate (RCAC) to be issued by APEDA.
1. We (name and address of a Scheduled Indian Bank) hereinafter called "THE BANK" do hereby undertake and promise to pay the APEDA, New Delhi an amount of Rs. /-
(Rupees
2. Our liability under this guarantee shall fall due immediately on a demand made in this regard by APEDA within the prescribed period and notwithstanding any dispute or objection raised by the exporter regarding their liability to pay for non performance of the commitments made by the said exporter. We do hereby undertake and promise to pay without demur and on demand by APEDA, New Delhi ,the sum of Rs. (Rupees
) in respect of which, the said exporter fails to fulfill these commitments and that such claim will be restricted upon the full value of this guarantee i.e. Rs(Rupees
The completed in rule
3. We,

guarantee is made on us in writing upto 6 months from the date of expiry of this guarantee in respect of non- performance regarding export of (Raw/Refined) Sugar to E.U. under TRQ, we shall be discharged from all liabilities under this guarantee further.
4. We, the
5. We,
6. We shall be relieved of and discharged from all liabilities under this guarantee only on the exporter having fulfilled all his obligations and exported the entire quantity of RCAC by the last day of shipment as prescribed by the APEDA in this particular case and submitted satisfactory proof of shipment and realization of export value by the Bank to the full satisfaction of the APEDA in this regard within the prescribed time whose decision in this connection shall be final and binding.
7. This guarantee will not be revoked by any change in the constitution of the Bank and/or the exporter.  Dated at
. In presence of
(Signature of the Guarantor)
Signature of Applicants (to be signed by the Proprietor/Managing Director/Authorized Signatory/Managing Partner of the unitshowing his Designation as such)
Date : Seal :

properly carried out by the said exporter. Unless a demand or claim under this

#### टी.आर.क्यू. के अंतर्गत यूरोपीय संघ को चीनी (रॉ/रिफाइंड) के निर्यात के विवरण की प्रस्तुति का प्रारूप

निर्यातक का नाम	:	
एपीडा/एफ.आई.ई.ओ.	पंजीकरण सं.	;
आर.सी.ए.सी. सं. औ	र तिथि :	

मीट्रिक टन में मात्रा	कन्साइनी/ आयातक	भार (लेडिंग) बिल की तिथि	एफ.ओ.बी. मूल्य यूएसडी	शिपमेंट पोर्ट	गंतव्य पोर्ट
			_		_

प्राधिकारी हस्ताक्षरी:		
नाम एवं पद:		
तिथि:		
स्थान:		